बाब 113 : कुत्ते की क़ीमत के बारे में

١١٣- بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

इमाम शाफ़िई (रह.) और जुम्हूर उ़लमा का ये क़ौल है कि मुत्लक़न किसी कुत्ते की बेअ़ जाइज़ नहीं, सिखाया हुआ हो या बिन सिखाया हुआ और अगर कोई उसको मार डाले तो उस पर ज़िमान लाज़िम नहीं आता और इमाम मालिक (रह.) के नज़दीक ज़िमान लाज़िम होगा। और ह़ज़रत इमाम अबू ह़नीफ़ा (रह.) के नज़दीक शिकारी और फ़ायदेमन्द कुत्ते की बेअ़ दुरुस्त है।

2237. हमसे अ़ब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने बयान किया, कहा कि हमको इमाम मालिक ने ख़बर दी, उन्हें इब्ने शिहाब ने, उन्हें अबीबक्र बिन अ़ब्दुर्रह़मान ने और उन्हें अबू मसऊ़द अंसारी (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्ते की क़ीमत, ज़ानिया की उज्रत और काहिन की उज्रत से मना फ़र्माया था।

(दीगर मक़ाम : 2282, 5346, 5761)

٢٢٣٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)).

[أطرافه في: ٢٢٨٢، ٥٣٤٦، ٥٧٦١].

अ़रब में काहिन लोग बहुत थे जो आइन्दा की बातें लोगों को बताया करते थे। आजकल भी ऐसे दावेदार बहुत हैं। उनको उज्रत देना या शीरीनी पेश करना जाइज़ नहीं है न उनका पैसा खाना जाइज़ है।

2238. हमसे ह़ज्जाज बिन मिन्हाल ने बयान किया, उनसे शुअ़बा ने बयान किया, कहा कि मुझे औ़न बिन अबी जुह़ैफ़ा ने ख़बर दी, कहा कि मैंने अपने वालिद को देखा कि एक पछना लगाने वाले (गुलाम) को ख़रीद रहे हैं। उस पर मैंने उसके बारे में पूछा उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ून की क़ीमत, कुत्ते की क़ीमत, बांदी की (नाजाइज़) कमाई से मना फ़र्माया था और गोदने वालियों और गुदवाने वालियों सूद लेने वालों और देने वालों पर लअ़नत की थी, और तस्वीर बनाने वाले पर भी लअ़नत की थी।

(राजेअ़ : 2086)

٢٢٣٨- حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: ((رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ. وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ)).

[راجع: ٢٠٨٦]

तश्रीह : ख़ून की क़ीमत से पछना लगाने वाले की उज्रत मुराद है। इस ह़दीष़ से अदम जवाज़ ज़ाहिर हुआ मगर दूसरी ह़दीष़ जो मज़्कूर हुई उससे ये ह़दीष़ मन्सूख़ हो गई है। इस ह़दीष़ में साफ़ मज़्कूर है कि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ुद पछना लगवाया और उस पछना लगाने वाले को उज्रत अदा फ़र्माई। जिससे जवाज़ षाबित हुआ। कुत्ते की क़ीमत के बारे में अबू दाऊद में मर्फ़ूअ़न मौजूद है कि जो कोई तुमसे कुत्ते की क़ीमत त़लब करे उसके हाथ में मिट्टी डाल दो, मगर निसाई में जाबिर (रज़ि.) की रिवायत है कि आपने शिकारी कुत्ते को मुस्तष़्ना फ़र्माया कि उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त जाइज़ है। ज़ानिया की उज्रत जो वो ज़िना कराने पर ह़ासिल करती है, उसका खाना भी मुसलमान के लिये क़त्अ़न ह़राम है, मिजाज़न यहाँ उस उज्रत को लफ़्ज़े महर से ता'बीर किया गया। काहिन से मुराद फ़ाल खोलने वाले, हाथ देखने वाले, ग़ैब की ख़बरें बतलाने वाले और इस क़िस्म के

(ﷺ) की राफ्त और रह़मत पर भी रोशनी पड़ती है कि आप (ﷺ) को किसी का भूखा रहना गवारा न था। एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इंसान की यही शान होनी चाहिये।

बाब 15 : अल्लाह तआ़ला का सूरह बक़र: में ये फ़र्माना, और वो बड़ा सख़्त झगड़ालू है

١٥- بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]

2457. हमसे अबू आ़सिम ने बयान किया, उनसे इब्ने जुरैज ने, उनसे इब्ने अबी मुलैका ने और उनसे आ़इशा (रज़ि.) ने कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसन्द वो आदमी है जो सख़्त झगड़ालू हो। (दीगर मक़ाम : 4523, 7188)

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ)). [طرفاه في: ٤٥٢٣، ٧١٨٨].

कुछ बदबख़्तों की फ़ितरत होती है कि वो ज़रा–ज़रा सी बातों में झगड़ा फ़साद करते रहते हैं। ऐसे लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत ही बुरे हैं। पूरी आयत का तर्जुमा यूँ है, लोगों में कोई ऐसा है जिसकी बात दुनिया की ज़िन्दगी में तुझको भली लगती है और अपने दिल की ह़ालत पर अल्लाह को गवाह करता है ह़ालाँकि वो सख़्त झगड़ालू है। कहते हैं ये आयत अख़्नस बिन शुरैक़ के ह़क़ में उतरी। वो आँह़ज़रत (ﷺ) के पास आया और इस्लाम का दा'वा करके मीठी बातें करने लगा। जबकि दिल में निफ़ाक़ रखता था (वह़ीदी)

बाब 16 : उस शख़्स का गुनाह, जो जान–बूझकर झूठ के लिये झगड़ा करे

١٦- باب إِثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي باطلٍ وهوَ يَعلمُه

2458. हमसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन अ़ब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा कि मुझसे इब्राहीम बिन सअ़द ने बयान किया, उनसे स़ालेह बिन कैसान ने और उनसे इब्ने शिहाब ने कि मुझे उ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) ने ख़बर दी, उन्हें ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ख़बर दी और उन्हें नबी करीम (ﷺ) की ज़ोजा मुत़ह्हरा उम्मे सलमा (रज़ि.) ने कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हुज्रे के दरवाज़े के सामने झगड़े की आवाज़ें सुनी और झगड़ा करने वालों के पास तशरीफ़ लाए। आपने उनसे फ़र्माया कि मैं भी एक इंसान हूँ। इसलिये जब मेरे यहाँ कोई झगड़ा लेकर आता है तो हो सकता है कि (फ़रीक़ेन में से) एक फ़रीक़ की बह़ष़ दूसरे फ़रीक़ से ज़्यादा बेहतर हो, मैं समझता हूँ कि वो सच्चा है। और इस त़रह़ में उसके ह़क़ में फ़ैसला कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको (उसके ज़ाहिरी बयान पर भरोसा करके) किसी मुसलमान का ह़क़ दिला दूँ तो दोज़ख़ का एक टुकड़ा उसको दिला रहा हूँ, वो ले ले या छोड़ दे।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا)).